



Neutral Citation No. - 2026:AHC:172180

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 43913 वर्ष 2025

मनीष वर्मा उर्फ गौरव

.....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य

.....प्रतिवादी

आवेदक के अधिवक्ता : अनुराग मिश्रा, आशीष कुमार गौड़, प्रशांत प्रताप राव, सिद्धार्थ सिंह

श्रीनेत

प्रतिवादी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता, मुकेश जोशी, राजेश शर्मा

न्यायालय संख्या - 75

माननीय न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता, राज्य के विद्वान ए.जी.ए., प्रथम सूचना दाता के विद्वान अधिवक्ता श्री राजेश शर्मा को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया गया।
2. वर्तमान आवेदन आपराधिक वाद संख्या 7425 सन् 2025 (राज्य बनाम मनीष वर्मा उर्फ गौरव), धारा 504, 506 भा.दं.सं. तथा सूचना प्रौद्योगिकी (पुनरीक्षण) अधिनियम की धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



67, थाना कोतवाली, जनपद पीलीभीत, जो विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, पीलीभीत के समक्ष लंबित है, की कार्यवाही को निरस्त करने तथा उपर्युक्त मुकदमा अपराध में दाखिल आरोप-पत्र दिनांक 29.06.2024 को भी निरस्त करने और उपर्युक्त वाद में पारित संज्ञान आदेश दिनांक 27.06.2025 को भी निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।

3. दिनांक 17.11.2025 के आदेश द्वारा इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने इस मामले को इस न्यायालय के मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष संदर्भित किया था। इस न्यायालय के मध्यस्थता केंद्र के प्रभारी ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 08.07.2026 द्वारा सूचित किया है कि पक्षकारों के मध्य सभी विवादों एवं मतभेदों का सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया गया है, जिसे दिनांक 08.07.2026 के समझौता करार के अनुच्छेद 7 में लिखित रूप में दर्ज किया गया है, जिसकी प्रति रिपोर्ट अभिलेख पर उपलब्ध है।
4. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि पक्षकारों के मध्य कुछ गलतफहमी एवं आशंकाओं के कारण प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। समय बीतने के साथ वे अपने मतभेदों को दूर करने में सक्षम हुए हैं तथा उन्होंने लिखित रूप में अपने विवाद का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है, जिसका सत्यापन विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा भी किया गया है। उन्हें यह ज्ञात हो गया है कि आवेदकों की ओर से कोई आपराधिक आशय नहीं था और आवेदकों द्वारा कोई आपराधिक अपराध कारित नहीं किया गया है।
5. विद्वान ए.जी.ए. तथा सूचनादाता के विद्वान अधिवक्ता, आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा किए गए कथन की सत्यता अथवा उनके द्वारा भरोसा किए गए दस्तावेजों की



सत्यता पर विवाद नहीं कर सके। उन्होंने प्रस्तुत किया कि यदि उपर्युक्त वाद की कार्यवाही निरस्त कर दी जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. यह तर्क दिया गया है कि उक्त समझौते के दृष्टिगत, अवर न्यायालय के समक्ष लंबित कार्यवाही को माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *बी.एस. जोशी बनाम हरियाणा राज्य और अन्य, 2003(4) एस सी सी 675 तथा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एस सी सी 303* के मामलों में दिए गए निर्णयों के आलोक में निरस्त किया जाए।
7. माननीय उच्चतम न्यायालय ने बी.एस. जोशी (उपर्युक्त) के मामले में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि पक्षकारों के मध्य समझौते/निस्तारण के अंतर्गत विवाद समाप्त हो गया है, तो धारा 320 भा.दं.सं. में निहित किसी बात के बावजूद, पक्षकारों के मध्य दर्ज किए गए समझौते के दृष्टिगत, इस न्यायालय द्वारा अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 498-ए भा.दं.सं. आदि की कार्यवाही को निरस्त करने में कोई विधिक बाधा नहीं है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने ज्ञान सिंह (उपर्युक्त) के मामले में अनुच्छेद-61 में निम्नवत् अभिनिर्धारित किया है:

“आपराधिक कार्यवाही अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट अथवा शिकायत को अपनी अंतर्निहित अधिकारिता का प्रयोग करते हुए निरस्त करने की उच्च न्यायालय की शक्ति, धारा 320 संहिता के अंतर्गत अपराधों के शमन हेतु आपराधिक न्यायालय को प्रदान की गई शक्ति से भिन्न और पृथक है। अंतर्निहित शक्ति व्यापक है और उस पर कोई सांविधिक सीमा नहीं है, किंतु इसका प्रयोग ऐसी शक्ति में निहित दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाना चाहिए, अर्थात् (i) न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए अथवा (ii) किसी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए। किन मामलों में, अपराधी और पीड़ित द्वारा



अपने विवाद का निस्तारण कर लेने पर आपराधिक कार्यवाही अथवा शिकायत अथवा प्रथम सूचना रिपोर्ट को निरस्त करने की शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर निर्भर करेगा और इसके लिए कोई श्रेणी निर्धारित नहीं की जा सकती। तथापि, ऐसी शक्ति का प्रयोग करने से पूर्व उच्च न्यायालय को अपराध की प्रकृति और गंभीरता पर उचित ध्यान देना चाहिए। जघन्य एवं गंभीर अपराध, जिनमें मानसिक विकृति का तत्व हो, अथवा हत्या, बलात्कार, डकैती आदि जैसे अपराध, पीड़ित अथवा पीड़ित के परिवार और अपराधी के मध्य विवाद के निस्तारण के बावजूद, उपयुक्त रूप से निरस्त नहीं किए जा सकते। ऐसे अपराध निजी प्रकृति के नहीं होते हैं और उनका समाज पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जैसे विशेष अधिनियमों के अंतर्गत अपराधों अथवा लोक सेवकों द्वारा अपने पद पर कार्य करते हुए किए गए अपराधों के संबंध में पीड़ित और अपराधी के मध्य कोई समझौता, ऐसे अपराधों से संबंधित आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने का कोई आधार प्रदान नहीं कर सकता। किंतु ऐसे आपराधिक मामले, जिनमें विवाद का स्वरूप मुख्यतः और प्रबल रूप से सिविल प्रकृति का हो, निरस्तीकरण के प्रयोजन के लिए अलग आधार पर होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, सिविल, साझेदारी अथवा इस प्रकार के लेन-देन से उत्पन्न होते हैं या दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक अपराध अथवा पारिवारिक विवाद, जहां किया गया कृत्य मूलतः निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का हो और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया हो। इस श्रेणी के मामलों में उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसकी राय में अपराधी और पीड़ित के मध्य हुए समझौते के कारण दोषसिद्धि की संभावना दूर और अत्यंत क्षीण हो तथा आपराधिक मामले को जारी रखना अभियुक्त को अत्यधिक उत्पीड़न और प्रतिकूलता में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



डाल देगा और पीड़ित के साथ पूर्ण एवं संपूर्ण निस्तारण तथा समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ अत्यधिक अन्याय होगा। दूसरे शब्दों में, उच्च न्यायालय को यह विचार करना चाहिए कि क्या पीड़ित और कर्ता के मध्य निस्तारण एवं समझौते के बावजूद आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना अनुचित अथवा न्याय के हित के प्रतिकूल होगा अथवा आपराधिक कार्यवाही को जारी रखना विधि की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा तथा क्या न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए आपराधिक मामले को समाप्त करना उचित है। यदि उपर्युक्त प्रश्नों का उत्तर सकारात्मक है, तो उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने की अपनी अधिकारिता के भीतर होगा।”

8. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा *नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (2014) 6 एससीसी 466, योगेन्द्र यादव बनाम झारखंड राज्य, (2014) 9 एससीसी 653 और परबतभाई अहीर बनाम गुजरात राज्य, (2017) 9 एस सी सी 641* में दिए गए निर्णयों पर भरोसा किया है और प्रस्तुत किया है कि आवेदकों तथा प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 ने समझौते के माध्यम से अपने मतभेदों का निस्तारण कर लिया है और इस प्रकार प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदकों के विरुद्ध उपर्युक्त मामले को आगे नहीं चलाना चाहता है। प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2 आवेदक के विरुद्ध अभियोजन वापस लेने के लिए तैयार है और समझौते के दृष्टिगत, यदि अभियोजन को आगे चलने दिया जाता है, तो कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा नहीं होगा।

9. अभिलेख के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि पक्षकारों ने समझौता किया है और प्रतीत होता है कि उन्होंने अपने वास्तविक विवादों का सौहार्दपूर्ण ढंग से निस्तारण कर लिया है, जिसका सत्यापन अवर न्यायालय द्वारा भी किया गया है, जिसकी प्रति रिपोर्ट अभिलेख



पर उपलब्ध है। अतः यह भी प्रतीत होता है कि प्रतिवादी पक्षकार संख्या 2, जो यदि विचारण आगे बढ़ता है तो अभियोजन का मुख्य साक्षी होगा, ने विचारण के दौरान प्रतिकूल साक्षी होने की अपनी स्पष्ट एवं असंदिग्ध इच्छा व्यक्त की है। ऐसी परिस्थितियों में यह स्पष्ट है कि मामले के गुण-दोष एवं सत्यता से अलग, यदि विचारण की कार्यवाही जारी रखने की अनुमति दी जाती है, तो यह विद्वान अवर न्यायालय के बहुमूल्य समय की काफी हद तक बर्बादी हो सकती है।

10. न्यायालय इस कठोर वास्तविकता से अनभिज्ञ नहीं रह सकता कि वर्तमान मामले और इसी प्रकार के अन्य मामलों के तथ्य ऐसी स्थिति प्रस्तुत करते हैं, जहां यद्यपि प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोपों में किसी अपराध के तत्व विद्यमान हैं, तथापि, इस प्रकार का समझौता हो जाने के कारण दोषसिद्धि की संभावनाएं न केवल क्षीण हैं, बल्कि यदि ऐसे विचारणों को अन्य सभी विचारणों के साथ जारी रखने की अनुमति दी जाती है, जो राज्य के लगभग सभी आपराधिक न्यायालयों में व्यावहारिक रूप से लंबित पड़े हुए हैं, तो वर्तमान मामले जैसे मामलों में विचारण की निरंतरता केवल उन अन्य मामलों के लिए भारी नुकसान का कारण बन सकती है, जहां वादी न्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

11. सामान्य परिस्थितियों में न्यायालय ऐसे कुछ समझौता व्यवस्थाओं को स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होता। दुर्भाग्यवश, आपराधिक मामलों की उच्च लंबितता तथा झूठ बोलने और असत्य कथन करने की उस उच्च प्रवृत्ति के कारण, जो समाज में अन्यथा व्यापक रूप से दिखाई देती है, न्यायालय के समक्ष वह विकल्प भी उचित प्रतीत नहीं होता—जहां प्रतिशोध लेने की इच्छा कभी-कभी न्याय की शुद्ध खोज पर हावी होती दिखाई देती है; जहां विधिक लड़ाई जीतना सही कार्य करने से अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है; जहां अपने



विरोधी को सबक सिखाना अक्सर आपराधिक कार्यवाही संस्थित करने का एकमात्र उद्देश्य प्रतीत होता है।

12. अतः समाज में प्रचलित प्रवृत्तियों को देखते हुए, न्यायालय के समक्ष अधिक व्यावहारिक और कम तकनीकी दृष्टिकोण अपनाना उचित प्रतीत होता है—अर्थात् वर्तमान मामले जैसे कुछ आपराधिक अभियोजनों को छोड़ दिया जाए, ताकि अन्य मामलों में अधिक प्रभावी, कुशल और उचित विचारण हो सके, जहां वादी अपने अधिकारों के प्रति गंभीर प्रतीत होते हैं और अपने दृष्टिकोण में अधिक सुसंगत हैं।

13. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए तथा पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा पक्षकारों के मध्य किए गए समझौते के संबंध में प्रस्तुत तर्कों को ध्यान में रखते हुए और इन सभी कारकों पर समग्र रूप से विचार करने के पश्चात्, पक्षकारों के मध्य हुए समझौते को स्वीकार किया जाता है तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य, 2012(10) एस सी सी 303, नरिंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य (उपर्युक्त), योगेंद्र यादव बनाम झारखंड राज्य (उपर्युक्त) तथा परबतभाई आहिर बनाम गुजरात राज्य (उपर्युक्त) के मामलों में प्रतिपादित विधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपर्युक्त वाद की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

(न्यायमूर्ति डॉ. गौतम चौधरी)

14 अगस्त, 2026

एस. अली